प्रेस नोट
दिनांक - 17.10.2025
जनपद - गोण्डा

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्य/शिक्षक/अभिभावकगण के साथ पुलिस लाइन सभागार में मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा साइबर सुरक्षा पर केन्द्रित जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अंतर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा साइबर सुरक्षा को लेकर जनपद गोण्डा में आज दिनांक 17.10.2025 को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत की अध्यक्षता में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों, प्रत्येक संस्थान से 2-2 शिक्षक/शिक्षिकाएं एवं अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों एवं साइबर अपराधों से बचाव हेतु व्यापक जानकारी प्रदान करना था।
कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों जिसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध, पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम आदि की जानकारी प्रदान की गई। महोदय द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग, ऑनलाइन / साइबर फ्रॉड एवं साइबर बुलिंग से संबंधित सावधानियों के विषय में जागरूक किया गया तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराधों से सुरक्षा एवं सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । इस दौरान महिला हेल्पलाइन नंबर्स जैसे 1090, 181, 112, 1930 एवं अन्य हेल्प लाइन नंबर 1076, 108, 1098, 102 आदि की जानकारी दी गई एवं इनके उपयोग की प्रक्रिया को समझाते हुए महिला सशक्तिकरण योजनाओं एवं सहायता केंद्रों (जैसे मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क आदि) के बारे में जानकारी दी गई तथा सूचनात्मक पैम्फलेट्स का वितरण किया गया । कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी द्वारा उपस्थित शिक्षकों एवं अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने संस्थानों एवं घरों में छात्राओं और महिलाओं को इन सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करें और स्वयं के स्तर पर भी विध्यालयों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मिशन शक्ति अभियान को और सफल बनाने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि सशक्त एवं सुरक्षित नारी तथा सशक्त समाज के निर्माण में विद्यालयों और परिवारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साथ ही जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी सम्मानित सदस्यों से सुझाव और फीडबैक भी प्राप्त किया।

अंत में उपस्थित जनों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा इसे जन-जन तक पहुँचाने के लिए संकल्प लिया ।
इस अवसर पर सुश्री शिल्पा वर्मा क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन तथा एन्टी रोमियो स्क्वायड टीम कोतवाली नगर भी उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 50 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कल दिनांक 16.10.2025 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 50 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है- थाना थाना को0 देहात पुलिस ने 05, थाना इटियाथोक पुलिस ने 02, थाना खरगूपुर पुलिस ने 07, थाना मनकापुर पुलिस ने 04, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02, थाना तरबगंज पुलिस ने 03, थाना नवाबगंज पुलिस ने 11, थाना वजीरगंज पुलिस ने 03, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 03, थाना परसपुर पुलिस ने 02, थाना कटराबाजार पुलिस ने 04 व थाना कौड़िया पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 17.10.2025
जनपद – गोण्डा

दीपोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत अयोध्या मार्ग पर बड़े मालवाहक वाहनों के आवागमन के संबंध में रूट डायवर्जन

आगामी दीपोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए दिनांक 18.10.2025 को रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 20.10.2025 तक कार्यक्रम / भीड़ समाप्ति तक बड़े मालवाहक वाहनों (ट्रक, डी०सी०एम०, ट्रैक्टर आदि) हेतु गोण्डा-अयोध्या मार्ग पर निम्नवत रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा—

1. जनपद बस्ती की ओर से आने वाले ऐसे वाहन जिन्हें अयोध्या के रास्ते लखनऊ की ओर जाना है, वे लोलपुर चौराहा से कटरा तिराहा होते हुए कोल्हमपुर–मनकापुर अथवा कटी तिराहा–तरबगंज–कर्नलगंज मार्ग से होकर लखनऊ जा सकेंगे।

2. ऐसे वाहन जिन्हें गोरखपुर / बस्ती की ओर जाना है, वे लोलपुर मार्ग से बस्ती–गोरखपुर जा सकते हैं अथवा नवाबगंज के कटी तिराहा से कोल्हमपुर–मनकापुर मार्ग होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

सभी वाहन चालक एवं परिवहन संचालकों से अनुरोध है कि उपरोक्त रूट डायवर्जन का पालन करें एवं वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.10.2025

थाना को0नगर पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में मात्र 06 घण्टों के अन्दर पुलिस मुठभेड़ में रंगदारी मांगने व जानलेवा हमला करने के 02 शातिर आरोपी अभियुक्तों की पुलिस की गोली लगने से घायल, कब्जे से अवैध असलहे व मोटरसाईकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना को0 नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मात्र 06 घण्टों के अन्दर ग्राम विमौर बहराइच रोड से खैरा भवानी जाने वाले लिंक रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर आरोपी अभियुक्तगण 1. चंदन तिवारी उर्फ धवल पुत्र धनपत तिवारी नि0 रस्तोगी मोहल्ला खरगपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा व 02. आशू उपाध्याय उर्फ पिंकल पुत्र संतोष कुमार उपाध्याय नि0 रोशन वाकर गंज थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या वर्तमान पता जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 17.10.2025 को वादी राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहंटा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि वे महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी में रिकवरी का कार्य करते हैं। वादी ने बताया कि चंदन तिवारी उर्फ धवल पुत्र धनपत तिवारी एवं आशू उपाध्याय उर्फ पिंकल पुत्र संतोष कुमार उपाध्याय दोनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो एक गिरोह बनाकर “गुंडा टैक्स” वसूलते हैं। करीब 06 माह पूर्व अभियुक्तगण द्वारा वादी से डरा-धमकाकर ₹50,000/- की रंगदारी वसूली गई थी। तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा पुनः फोन पर धमकी देकर रंगदारी की मांग की जाती रही। लगभग 01 माह पूर्व उन्होंने वादी से ₹1,00,000/- की गुंडा टैक्स की मांग की, जो न देने पर आज दिनांक 17.10.2025 को उपरहितन पुरवा के पास वादी को घेर लिया तथा ललकारते हुए जान से मारने की नियत से उस पर फायर कर दिया। वादी के बचाव करने पर गोली उसके सिर के पास से निकल गई, शोर मचाने पर राहगीर वहां पहुंचे तो अभियुक्तगण अपनी पीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से भाग गए। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे तथा फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 817/2025 धारा 191(2), 191(3), 126(2), 308(4), 109, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया। पतारसी-सुरागरसी, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली नगर एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम अभियुक्तगण की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान ग्राम विमौर, बहराइच रोड से खैरा भवानी जाने वाले लिंक रोड पर अभियुक्तगण चंदन तिवारी उर्फ धवल व आशू उपाध्याय उर्फ पिंकल दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्तगण ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तगण के पैर में गोली लग गई, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस एवं 01 अदद बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चंदन तिवारी उर्फ धवल पुत्र धनपत तिवारी नि0 रस्तोगी मोहल्ला खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

02. आशू उपाध्याय उर्फ पिंकल पुत्र संतोष कुमार उपाध्याय नि0 रोशन वाकर गंज थाना महाराजगंज जनपद अयोध्या वर्तमान पता जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 817/2025 धारा 191(2), 191(3), 126(2), 308(4), 109, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना को0 नगर, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 821/25, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस
03. 01 अदद खोखा कारतूस
04. 01 अदद बजाज पल्सर मोटरसाइकिल (पीले रंग की)

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 विवेक त्रिवेदी मय टीम
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी गौरव सिंह तोमर
03. उ0नि0 अंकित सिंह
04. उ0नि0 सोनू सिंह
05. उनि0 विभव तिवारी
06. हे0कां0 राकेश सिंह (एसओजी)
07. हे0कां0 अरुण यादव (एसओजी)
08. हे0का0 अमित पाठक (सर्विलांस सेल)
09. कां0 प्रभाकर
10. कां0 संदीप
11. कां0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.10.2025

मिशन शक्ति के अंतर्गत 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष सश्रम कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.06.2021 को वादी द्वारा थाना को0 नगर में सूचना दी कि दिनांक 06/07.06.2021 की रात्रि में उसकी नाबालिग बेटी उमर 17 साल को विपक्षी राजू पाण्डेय उर्फ राज पुत्र अज्ञात नि0 चिलबिला खत्तीपुर थाना को0 देहात गोण्डा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह पुत्र प्रमोद कुमार नि0 मुण्डेरा(मुण्जेरवा) बुधेराजपुरवा थाना करनैलगंज, गोण्डा का नाम प्रकाश में लाया गया तथा राजू पाण्डेय उर्फ राज के विरुद्ध साक्ष्य न पाए जाने के कारण अभियोग से नामजदगी पृथक की गई। दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह को दिनांक 13.08.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 16.10.2025 को गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन (अभियोजक श्री अशोक कुमार सिंह, थाना को0 नगर के पैरोकार हेड मु0आ0 जनार्दन यादव व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीन आर्या) के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह को दोषसिद्ध करते हुए को 20 वर्ष का कारावास व रू0 40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. गोलू उर्फ सन्तोष कुमार सिंह पुत्र प्रमोद कुमार नि0 मुण्डेरा(मुण्डेरवा) बुधेराजपुरवा थाना करनैलगंज, गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-445/21, धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।